न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर

3/8/2025 कालूराम बनाम गोपाल वगै0

मुकदमा नं0 278/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24.09.2025	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामकरण शर्मा ने धारा 53, 88, 188 आरटीएक्ट के तहत पेश किया है। पत्रावली अवलोकन सहित दर्ज रजिस्टर होकर पत्रावली में तलबी हेतु अप्रार्थीगणों को रजिस्टर्ड डाक के द्वारा नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 17.10.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	
	17/10/25	पत्रावली पेश हुई। [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार धारा तलबी/जवाब..... दिनांक 07/11/25 को पेश हो।	
	07/11/25	पत्रावली के वादी ने नोटिस 150 के विड्रो प्रा० पत्र पेश करके पत्रावली तलब की गई। विड्रो प्रार्थना पत्र पर वकील वादी को सुना पाकर शामिल किया किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में विड्रो प्रा. पत्र स्वीकार किया पाकर मूल वाद को विड्रो करने की अनुमति दी जाती है। वादी वाद पत्र दायर करने पर विड्रो किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल के नकल वाद प्रति शामिल रजिस्टर हो।	कालूराम

उप खण्ड अधिकारी एवं
उप खण्ड मजिस्ट्रेट
जमवारामगढ़